

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1925 / FP/UK/ROAD/10596/2015 देहरादून: दिनांक: 03 फरवरी, 2020
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:-जनपद-बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत बिलखेत गैराड भेरू-चौपटा के मिलान ढालन तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/10596/2015

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की EDS दिनांक 05-12-2017

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 05-12-2017 के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर उत्तराखण्ड से प्राप्त आख्या निम्नवत प्रेषित की जा रही है।

SR.No	EDS	
1	इस कार्यालय के EDS दिनांक 05.12.2019 की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात अपने पत्र दिनांक 19.03.2019 द्वारा प्रस्तुत की है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें।	उक्त बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस प्रस्ताव में तकनीकी कारणों से प्रस्ताव नहीं खुल पा रहा था। जिस हेतु एन0आई0सी0, दिल्ली से प्रस्तावक विभाग द्वारा सम्पर्क किया गया व उनके द्वारा प्रस्ताव की तकनीकी खराबी को सही कराया गया, जिसके फलस्वरूप प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करने में विलम्ब हुआ है।
2	It is seen form the reply that neither the CA area is revised not the hard copy of the proposal received inthis office so far. State Govt may submit the compliance of EDS dt 05-12-2017	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त दस्तावेजो को उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावक विभाग को लिखा गया है, प्रस्तावक विभाग से मूल प्रति प्राप्त होने पर मैं भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी।
3	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव की के0एम0एल फाईल से यह प्रतीत हो रहा है। कि ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग पर स्थित है राज्य सरकार इस सन्दर्भ में स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें साथ ही लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित कर ऑनलाईन पैरा C (ii) (b) पार्ट । पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।	उक्त बिन्दु पर प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि KML file से यह प्रतीत हो रहा है। कि ग्राम पूर्व से ही मुख्य मार्ग है परन्तु मोटर मार्ग में पडने वाले गांव व तोक मुख्य मार्ग से लगभग 2.50 किमी0 से 3.00 किमी0 दूरी पर है। लाभान्वित होने वाले ग्रामों की स्थिति KML file पर अंकित कर आनलाईन पैरा C (ii)(b) पार्ट । पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी